

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2894-दो/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 21-5-2013 पारित
द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सतना म.प्र. प्रकरण क्रमांक 75/अपील/12-13.

रामकिशोर तनय स्व. केदार प्रसाद
निवासी ग्राम सगोनी थाना व तह. रामपुर बघेलान
जिला सतना म.प्र.

— आवेदक

विरुद्ध

- 1— मो. अजीज तनय मो. जहूर
निवासी ग्राम सगोनी थाना तह. रामपुर बघेलान,
जिला सतना म.प्र.
- 2— म. प्र. शासन — अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता, श्री धर्मचार्च पाण्डेय ।
अनावेदक क. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक १७.०६.२०१५ को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 21-5-13 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क. 1 द्वारा विदारण न्यायालय के समक्ष म.प्र. वास स्थान दखलार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 445 रकबा 0.385 हैक्टर के अंश रकबा 0.135 डिं० में 50 वर्षों से मकान बनाकर निवासरत है तथा उसके पास इसके अलावा अन्य कोई मालकन व भूमि नहीं है, अतः भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया जाये । विचारण न्यायालय ने

आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश दिनांक 8-2-13 द्वारा उसे उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रश्नाधीन आराजी के रकबा 0.05 डिंडो को अनावेदक क्र. 1 के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज करने सहित प्रारूप "ग" में घोषणा जारी किए जाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर कलेक्टर इस के इस आदेश के विरुद्ध पेश की गई है।

3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं अनुचित होकर त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने प्रकरण में पक्षकारों के अभिलेख तथा उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विधिवत व्याख्या नहीं की गई है। आवेदक ने दोनों न्यायालयों में विवादित भूमि व मकान का स्थल निरीक्षण करने के पश्चात आदेश पारित करने का अनुरोध कियाग या किंतु कोई स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। अपर कलेक्टर को प्रथम अपीलीय कोटं के नाते उक्त मुद्दों की चर्चा अपने आदेश में करना चाहिए थी। आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 जारी का विधिवत निराकरण नहीं किया गया है तथा म०प्र० दखलकार वास अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर आदेश पारित किये गये हैं, जो स्थिर रखने योग्य नहीं है।

4— अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण आलोच्य भूमि के पर भूमिस्वामी स्वत्व दिए जाने के संबंध में है जो म०प्र० वास रथान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के अंतर्गत होकर विचारण न्यायालय द्वारा मौके की जांच पटवारी के माध्यम से कराई गई है तथा स्वयं भी स्थल निरीक्षण किया है तथा यह पाया है कि अनावेदक के नाम कोई मकान या भूमि नहीं होने तथा उसके प्रश्नाधीन स्थल पर मकान बनाकर निवास रत है। प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन कराया गया है तथा आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया है और समस्त परीक्षण तथा अनावेदक क्र. 1 का नाम प्रश्नाधीन रकबे पर दर्ज करने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए हैं। इस आदेश की पुष्टि आलोच्य आदेश द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सतना द्वारा की

गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकारण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे विधिसम्मत, उचित और न्यायिक हैं और उनमें ऐसी कोई विधिक या सारबान त्रुटि नहीं है, जिस कारण उनमें हस्तक्षेप आवश्यक हो।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निररत की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।



(एम० के० सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर